Fin 36

FCRA - Renual Process / Reasons for cancellation

FCRA - नुतनीकरण प्रक्रीया / रद्द किये जाने के कारण

FCRA के सब पंजीकरणों का नुतनीकरण करना 1 मे 2016 से अनिवार्य किया गया है । अगर आप वक्त पर नुतनीकरण नहीं करते तो पंजीकरण अवैध माना जायेगा । इसके बाद आप विदेश से राशी नहीं स्वीकार सकते और विदेश से मिली हुई राशी जो आपके अकाउंट में है वो खर्च नहीं कर सकते ।

किसी भी संस्था का पंजीकरण रद्द करने से पहले संस्था को अपनी बात सामने रखने का मौका देना अनिवार्य है । एक बार पंजीकरण रद्द किये जाने के बाद आप तीन साल तक के लिये FCRA अर्जी नहीं कर सकते । FCRA पंजीकरण रद्द होने के कुछ कारण है - कानून का पालन न करना, गलत जानकारी देना, समाज के हित के विरोधी कार्य करना, नियम तोडना, दो साल के लिये कार्य न करना।